Speed Post

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/5/2013-14 23 अप्रैल, 2013

श्री अमजद खान,
एडवोकेट,
2-सी-1, दारूल उलूम रोड छत्रपुरा,
विज्ञान नगर कोटा,
राजस्थान ।

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

उक्त संदर्भ में कृपया अपने पत्र दिनांक 17 अप्रैल 2013 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसके साथ आपने 10/-रुपये का पोस्टल आर्डर संलग्न कर दारूल कजा इडारे ई सारिया राजस्थान के श्री मुफ्ती शमीम अशरफ, सदर, मुफ्ती, 3-बी-50, विज्ञान नगर, कोटा, राजस्थान के दिनांक 15 मार्च 2013 के आवेदन पर की गई कार्यवाही पर जानकारी चाही है।

17 F - 292190

इस पत्र के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि श्री मुफ्ती शमीम अशरफ का पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है, चूंकि आपके पत्र की विषय वस्तु जिला कलेक्टर कोटा से संबंधित है। अत: आपका आवेदन जिला कलेक्टर कोटा राजस्थान को अग्रसारित किया जा रहा है, कृत कार्यवाही हेतु आप कलेक्टर कोटा राजस्थान के कार्यालय से संपर्क करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-
श्रीयुत जिला कलेक्टर कोटा, राजस्थान -आवेदक का पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया कृत कार्यवाही की सूचना अधोहस्ताक्षरी को सूचित करते हुए, आवेदक को देने का कष्ट करें।

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

29/4/1..

Speed Post

सूचना चाहने के लिए आवेदन का प्रारूप

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत)

प्रेषिति,

President's Secretariat
96
Dy.No.
Dated 24/4/13
New Delhi

लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय ......उपराष्ट्रपती सचिवालय......

......नई दिल्ली......

1. आवेदक का पूरा नाम ......अमजद खान एडवोकेट......

2. पता :- ......2-C-1, दारुल उलूम रोड [illegible]......

......विज्ञान-नगर कोटा-5 (राजस्थान)......

3. सूचना की विशिष्टयाँ

(i) उस विभाग / कार्यालय का नाम जिससे सूचना संबंधित है

......उपराष्ट्रपती सचिवालय......

(ii) सूचना की प्रकृति :- ......ज्ञापन पर प्रगति का स्तर के क्रम के......

(iii) सूचना के पूर्ण ब्यौरे

(1) ......श्रीमान उपराष्ट्रपती महोदय को दिनांक 15/3/13 को दिये गये ज्ञापन पर कितनी कार्यवाही है व प्रगति स्तर बतायें। (प्रति संलग्न)......

4. क्या फीस के संदाय का सबूत सलंग्न कर दिया गया है। हाँ / नही

पोस्टल आर्डर नं0 ......17F 392190...... राशि ......10/-...... रुपये

नोट :– सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत आवेदन पत्र की एक पत्रावली अग्रिम कानूनी कार्यवाही हेतु मेरे पास सुरक्षित रख ली गई है।

Recognized by All India Muslim Personal Law Board

ادارہ شرعیہ ۳ بی۔۵۰ وگیان نگر کوٹہ راجستھان

دار القضاء

Darul Qaza Edara-e-Shariya Rajasthan

(Muslim Sharaee Adalat)

3-B-50, Vigyan Nagar, KOTA (Raj.) ☎ 0744-2433786,2425618

Date..15/3/13.

Ref.

सेवा में,

श्रीमान [illegible]
[illegible],
नई दिल्ली

विषय :— जिला कलेक्टर कोटा को विवाह करवाने एवं विवाह पंजीयन अधिकारी नगर निगम कोटा को विवाह पंजीयन के आदेश जारी करने बावत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है, कि प्रार्थीगण अब्दुल सलीम पुत्र श्री अब्दुल सत्तार एवं तबस्सुम उर्फ अनिता स्वामी जो कि पिछले दो वर्षो से मुस्लिम रीति—रिवाज के तहत विवाहित जीवन यापन कर रहे है तथा अपना विवाह प्रमाण—पत्र प्राप्त करने हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित नगर निगम कोटा में आवेदन किया था। परन्तु नगर निगम कोटा ने मुस्लिम—हिन्दू विवाह अमान्य एवं गलत बताकर पिछले 6—7 माह से ऑफिस में चक्कर पर चक्कर लगवाकर काफी मानसिक, आर्थिक, शारीरिक आघात पहुँचाकर प्रार्थीगण के आवेदन को बिना किसी विधिसम्मत कारण से खारिज कर उन्हे वापस लौटा दिया।

यह कि प्रार्थीगण ने नगर निगम कोटा से परेशान होकर जिला कलेक्टर कोटा के यहाँ "विशेष विवाह अधिनियम" के अन्तर्गत आवेदन किया, तो श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल ने बिना कोई विधिसम्मत कारण के प्रार्थीगण के आवेदन को खारिज कर दिया।

यह कि उक्त स्थिति के सन्दर्भ में नगर निगम कोटा एवं जिला कलेक्टर कोटा द्वारा मुस्लिम समुदाय के साथ किये जा रहे भेदभाव व हिन्दू—मुस्लिम नीति से प्रार्थीगण को काफी मानसिक, आर्थिक, शारीरिक आघात पहुँचाया है। नगर निगम कोटा व जिला कलेक्टर कोटा द्वारा बिना विधि, नियम, उपनियम एवं अधिनियम से सम्बन्धित कानून किसी धारा आदि का हवाला दिये बिना आवेदन को सिरे से खारिज कर देना साफ—साफ रुप से मुस्लिम समुदाय के प्रति घृणा का प्रतीक जाहिर होता है।

यह कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत हर व्यस्क युवाओं को अपनी पसन्द से संविधान के अन्तर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत धार्मिक एवं जातिगत बाधाओं के बिना जीवन साथी चुनने का संविधान प्रदत्त अधिकार है। इस प्रकार संविधान द्वारा दिये गये मूल अधिकारों का हनन करना एक संवैधानिक अपराध एवं जुर्म है, जोकि दण्डनीय है।

अतः महोदय से निवेदन है कि :—

1. प्रार्थीगण अब्दुल सलीम पुत्र श्री अब्दुल सत्तार एवं तबस्सुम उर्फ अनिता स्वामी के मामले में नगर निगम कोटा को विवाह पंजीयन तथा जिला कलेक्टर कोटा को विवाह सम्पन्न कराने का अतिशीघ्र आदेश जारी करने की कृपा करें।

2. भारतीय संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का नौकरशाही द्वारा हनन करने, धार्मिक—जातिगत भेदभाव व द्वैषता करने तथा प्रार्थीगण को काफी मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक संताप पहुँचाने के जुर्म में अतिशीघ्र दोषी प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही करने के आदेश करें।

स्थान :— कोटा

भवदीय

(मुफ्ती [illegible]
[illegible])